नम्बर /वर्ष 11/2017 अनवानी दयाराम बनाम स्टेट

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
24/10/24	वकुलाय फरिकेन उपस्थित बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्त बहस दिनांक 14.11.2024 को पेश हो।	
14/11/24	वकुलाय फरिकेन उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 3/12/24 को पेश हो।	
3/12/24	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 14(1) राजस्थान उपनिवेशन इन्दिरा गांधी कनोल प्रोजेक्ट कृषि भूमि आवंटन एव विक्रय नियम 1975 पर सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 148/486 में 5.5910हैक भूमि सयुक्त खाता मे प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयो के नाम से दर्ज है प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपते हुए प0न0 137/4 (562) के किला न0 21/0.2530हैक भूमि सिवाय चक है जो वर्षो से प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी उक्त सिचाय चक भूमि को राजस्थान उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर प्रयोजना भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत आवंटन करवाना चाहता है। अतः सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/4(562) किला न0 21/0.2530हैक भूमि आवंटन करने के आदेश फरमावे। पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया आवंटन स्माल पेच की श्रेणी में आता है अर्थात छोटी पटटी आवंटन के तहत आता है स्माल पेच में अराजीराज भूमि के चिपते हुए समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एव एक से अधिक पक्षकार होने की स्थिति में निलामी के जरिये भूमि आवंटन करने का प्रावधान है सायल ने अराजीराज भूमि के चिपते हुए काश्तकारों एवं स्वय सयुक्त खाते में कितने काश्तकार है का विवरण अंकित नही किया गया है सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है सायल ने सभी पक्षकारो को पक्षकार नही बनाने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार सायल ने रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/4 (562) के किला न0 21 की 0.2530हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज को आवंटन करवाने का निवेदन किया गया है। सायल जिस भूमि को आवंटन करवाना चाहता है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में एकल एक बीधा भूमि है या नही का विवरण अंकित नही किया गया है अर्थात सायल के द्वारा चाही गई भूमि एक बीधा अराजीराज है या इसके चिपते हुए अन्य अराजीराज भूमि है यदि एक बीधा भूमि ही अराजीराज दर्ज तो वह छोटी पटटी /स्माल पेच में आवंटन करवाने की श्रेणी में आती है। स्माल पेच/छोटी पटटी भूमि आवंटन के लिये आराजी भूमि के चिपते हुए सभी काश्तकार पात्र माने जाते है अर्थात अराजीराज भूमि के चिपते सभी काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है सुनवाई के पश्चात अराजीराज भूमि को आवंटन करने के लिये एक से अधिक काश्तकार है तो जरिये निलामी भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। सायल ने स्माल पेच में भूमि आवंटन करवाने के लिये स्वय का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:23 IST
Reason: SelfAttested

कथन है कि वह सयुक्त खाते में अपने भाईयो के साथ बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है खातेदारी भूमि के चिपते अराजीराज भूमि का आवंटन करवाने के लिये सयुक्त खाते के सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना एवं सुना जाना आवश्यक है सयुक्त खाते का एक काश्तकार भूमि आवंटन करवाने का पात्र नही होगा तथा अराजीराज भूमि के चिपते हुए सभी काश्तकारों को सुनवाई हेतु पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है सायल ने ना तो सयुक्त खाते के काश्तकारों को पक्षकार बनाया ना ही आराजीराज भूमि के चिपते काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है अर्थात सायल का प्रार्थना पत्र अपूर्ण है अपूर्ण प्रार्थना पत्र एव अपूर्ण पक्षकारो के अभाव में सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नही बनाने एवं प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:23 IST
Reason: SelfAttested